

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235682
SG-DL-E-10052022-235682असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]	दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 60
No. 272]	DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 60

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2022

फा.सं. 16(1)/श0वि0/जल/2000-01/पार्ट फाइल/496-501.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 3 की उपधारा (5) तथा उपधारा (2) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, श्री नरेश बाल्यान सदस्य, दिल्ली विधान सभा, को इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं0 फा0 16(1)/श0वि0/दि.ज.बो./98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड में, सदस्य के रूप में उनके संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए या विधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत समयावधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.वी.प्रेम नाथ, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th May, 2022

F.No. (16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/496-501.—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) and sub-section (5) of section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Sh. Naresh Balyan**, Member of Delhi Legislative Assembly, nominated by the Speaker, Delhi Legislative Assembly as Member in the Delhi Water Board, Delhi, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office, or till he ceases to be a member of the Legislative Assembly of the national Capital Territory of Delhi, whichever is earlier.

By Order and in the Name of

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A.V. PREM NATH, Jt. Secy. (UD)